न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 37/2022

प्रार्थीगण

श्री ताराराम पुत्र श्री बाबूलाल जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री धनंजय गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 19.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत रोहिडा के नोटिस क्रमांक/पंचा/364 दिनांक 11.10.2021 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 01.02.2023 को जवाब पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। इसके उपरान्त अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धनंजय गहलोत ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा नोटिस क्रमांक/पंचा/364 दिनांक 11.10.2021 विधि विरूद्ध जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी का ग्राम रोहिडा में आबादी भूमि ब्राह्मणी नगर के सामने, वागरीवास में प्रार्थी की पत्नि श्रीमती रमिला का एक जरिए पंजीबद्ध बेचाननामा के खरीदशुदा आवासीय भूखण्ड 30 गुणा 45 फीट आया हुआ है, जिसे प्रार्थी की पत्नि ने श्री गलबाराम पुत्र श्री नाथाराम जाति मेघवाल निवासी रोहिडा से जरिए पंजीबद्ध बेचानानामा के दिनांक 27.07.2020 को खरीद किया है, जिसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय भावरी में किया हुआ है। यह है कि उक्त भूखण्ड के खरीद के समय से ही प्रार्थी एवं उसकी पत्नि का उक्त भूखण्ड पर कब्जा है एवं इनके द्वारा ही उक्त भूखण्ड का उपभोग [illegible] ग्राम रोहिडा की आम जनता की देखरेख में किया जा रहा है। यह है कि दिनांक 27.07[illegible] पूर्व उक्त भूखण्ड पर श्री गलबाराम नाथाजी मेघवाल का [illegible] रहा है, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत रोहिडा को भलीभांति है। [illegible] ग्राम पंचायत रोहिडा ग्राम के ही कुछ लोगों के बहकावे में आकर तथा राजनैतिक प्रभाव में आकर प्रार्थी द्वारा [illegible] जा रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त करने एवं तोड–फोड़ करने पर आमादा है, जबकि [illegible] की पत्नि का उक्त भूखण्ड खरीदशुदा भूखण्ड होने से प्रार्थी को उसमें निर्माण कार्य करने बाबत पूर्ण अधिकार प्राप्त है, फिर भी ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा प्रार्थी के निर्माण कार्य को अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:53:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतिक्रमण बताते हुए जो नोटिस दिनांक 11.10.2021 जारी किया है, वह निरस्त योग्य है। यह है कि वादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थी की पत्नि का खरीदशुदा भूखण्ड होने की जानकारी ग्राम पंचायत को होते हुए भी एवंत माम दस्तावेजात प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किए जाने के बावजूद ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड के अवैध अतिक्रमण बताते हुए उक्त नोटिस दिया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी एवं उसका परिवार एक कमजोर व मजदूरी पेशा लोग है। अगर अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा अवैध तरीके से एवं विधि विरूद्ध प्रार्थी के खरीदशुदा भूखण्ड में तोड़–फोड की जाती है तो प्रार्थी को भयंकर आर्थिक व मानसिक क्षति होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध जारी नोटिस क्रमांक/पंचा/364 दिनांक 11.10.2021 को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क आवंटित भूमि को क्रय किया गया है, जो कि पट्टा की शर्त संख्या तीन का उल्लंघन है। यह है कि उक्त भूमि दिनांक 20.07.2020 को क्रय की गई थी, लेकिन प्रार्थी द्वारा भूखण्ड के आस–पास भूमि पर अतिक्रमण कर ताजा निर्माण की जानकारी होने पर क्रमशः 05.02.2021, 05.07.2021 एवं 11.10.2021 को दस्तावेज पेश करने एवं सुनवाई का अवसर देने हेतु नोटिस जारी किए गए, लेकिन प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत को कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है एवं न ही अतिक्रमण हटाया गया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नि के नाम से क्रय भूमि 1350 वर्गफीट से अधिक भूमि को अपने कब्जे में लेकर निर्माण करने पर ग्राम पंचायत द्वारा एक विधि सम्मत प्रस्ताव पारित किया गया। ग्राम पंचायत अतिक्रमणों को रोकने एवं उनके बेदखली सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज प्रावधानों के तहत उत्तरदायी संस्था है। यह है कि प्रार्थी द्वारा 1350 वर्गफीट से अधिक भूमि पर किए अतिक्रमण का सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात बेदखली का निर्णय पंचायत प्रावधान 165 के अनुसार् पारित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से पेश की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा नोटिस क्रमांक/पंचा/364 दिनांक 11.10.2021 द्वारा यह सूचित किया था कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत रोहिडा की आबादी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किया गया है, जो नियमों के विरूद्ध एवं पूर्णतया अवैध है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी की पत्नि श्रीमती रमिला द्वारा उक्त भूखण्ड 30 गुणा 45 कुल 1350 वर्गफीट जरिए पंजीबद्ध बेचाननामा के श्री गलबाराम पुत्र श्री नाथाजी जाति मेघवाल निवासी रोहिडा से दिनांक 27.07.2020 को खरीद किया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त क्रयशुदा भूखण्ड की भूमि 1350 वर्गफीट से अधिक भूमि को अपने कब्जे में लेकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी की पत्नि द्वारा श्री गलबाराम से दिनांक 27.07.2020 को 30 गुणा 45 कुल 1350 वर्गफीट का भूखण्ड क्रय किया था, जिसकी चतुर्दशी उत्तर में रास्ता, दक्षिण में श्री नारायण पुत्र श्री गोमाजी सरगडा का प्लॉट, पूर्व में श्री माली का ... श्री सूरताजी माली का मकान एवं पश्चिम में खालसा भूमि है। जहां तक उक्त भूखण्ड की माप कुल 1350 वर्गफीट से अधिक भूमि पर किए अतिक्रमण का ... प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी द्वारा उक्त क्रयशुदा भूखण्ड से अधिक भू–भाग पर अतिक्रमण नहीं किया गया हो। अतः प्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड की कुल माप 1350 वर्गफीट से अधिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:53:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड से अधिक भू-भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है, जबकि प्रार्थी अपने क्रयशुदा भूखण्ड कुल 30 गुणा 45 कुल 1350 वर्गफीट तक ही निर्माण कार्य कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा जारी नोटिस क्रमांक/पंचा/364 दिनांक 11.10.2021 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत रोहिडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नि श्रीमती रमिला द्वारा जरिए पंजीबद्ध बेचाननामा के श्री गलबाराम पुत्र श्री नाथाजी जाति मेघवाल निवासी रोहिडा से दिनांक 27.07.2020 को खरीदशुदा भूखण्ड 30 गुणा 45 कुल 1350 वर्गफीट, जिसकी चतुर्दशी उत्तर में रास्ता, दक्षिण में श्री नारायण पुत्र श्री गोमाजी सरगडा का प्लॉट, पूर्व में श्री माली काना पुत्र श्री सूरताजी माली का मकान एवं पश्चिम में खालसा भूमि है, को छोडकर इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा कहीं पर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, तो उसे हटाने के लिए ग्राम पंचायत रोहिडा स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:53:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner